न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 99 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हड़मानराम पुत्र खेमाराम
2. दीपाराम पुत्र खेमाराम
3. जबराराम पुत्र तोगाराम
4. धनाराम पुत्र तोगाराम
5. श्रीमती भीखी पत्नी तोगाराम
6. शेराराम पुत्र गेनाराम
7. वीरमाराम पुत्र गेनाराम
8. बाबुराम पुत्र गेनाराम जातियान जाट निवासीयान बलाणिया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.लाभुराम पुत्र रूगाराम
2.श्रीमती जेती पत्नी रूगाराम
3.भारमल पुत्र हरजीराम
4.मुलाराम पुत्र कुम्भाराम
5.मांगीलाल पुत्र कुम्भाराम
6.पूनमचंद पुत्र कुम्भाराम
7.श्रीमती माली पत्नी कुम्भाराम
8.हरकाराम पुत्र प्रहलादराम
9.चम्पालाल पुत्र प्रहलादराम
10.श्रीमती हपिया पत्नी प्रहलादराम जातियान जाट निवासीयान बलाणिया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
11.मुलाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी ब्लाउ जाटि
12.नारायण पुत्र विरदाराम जाति जाट निवासी बलाणिया
13.ग्राम पंचायत ब्लाउ जाटी जरिये सरपंच।
14.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।
15.हल्का पटवारी ब्लाउ जाटी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 164 / 2014 बअनवान हरखाराम बनाम लाबूराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05. 2016 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री लाधूराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रतनलाल चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 29.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 का पैतृक व कृषि भूमि सरहद मौजा बलाणिया खेत खसरा संख्या 51 रकबा 86.04 बीघा, खसरा संख्या 69 रकबा 127.02 बीघा, खसरा संख्या 70 रकबा 02.10 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 08.18 बीघा, खसरा संख्या 87 रकबा 72.13 बीघा तथा खसरा संख्या 93 रकबा 33.18 बीघा कुल रकबा 331.05 बीघा आई हुई हैं,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण संख्या 01 ता 4 एक संयुक्त हिन्दु परिवार के व्यक्ति हैं जो पूर्व में एक संयुक्त परिवार के रूप में एक ही ढाणी में सामलाती निवास करते थे। वादग्रस्त आराजी में अपीलांटगण का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 का 1/2 हिस्सा था। अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के पूर्वज रूगाराम पुत्र हरजीराम वगैरा व खेमाराम व गेनाराम पुत्रान सुरताराम द्वारा एक स्टाम्प पैपर के जरिये उक्त भूमि खसरा संख्या 51 रकबा 14.11 बीघा व खसरा संख्या 69 रकबा 05.14 बीघा भूमि का बैचान किया गया जिस पर उक्त भूमि में नामांतरण संख्या 127 के जरिये उक्त खसरान की भूमि में रकबा 20.05 बीघा भूमि का नामांतकरण सोनाराम पुत्र सीमाराम जाति जाट निवासी बामणिया के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। अपीलांटगण की अपने हक हिस्से की भूमि जिसमें से 12.02.10 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 05 ता 07 को बैचान व समर्पण होने से शेष भूमि पर वर्तमान में अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 का अपने हक हिस्से की भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 05 ता 07 को बैचान व समर्पण रकबा 11. 02.10 बीघा एवं शेष भूमि पर कब्जा काश्त है। वर्तमान में अपीलांटगण द्वारा उक्त खसरान की प्रमाणित नकले प्राप्त करने पर अपनी हक हिस्से की भूमि का सम्पूर्ण खसरान की प्रमाणित नकले प्राप्त की जिस पर अपीलांटगण को ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में कुल रकबा 144 बीघा ही दर्ज है जबकि अपीलांटगण की शेष कुल रकबा भूमि 153.10 बीघा होनी चाहिए थी। अपीलांटगण के राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 51 व 69 में रकबा कम दर्ज होने से व राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने से अपीलांटगण द्वारा अपने पैतृक हक हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड में सही रकबा दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध पेश किये गए वाद पत्र संख्या 164/2014 में बिना तामिल करवाये अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.03.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई जबकि अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण द्वारा पेश वाद की कोई तामिल नहीं की गई व न ही नोटिस लेने से इंकार किया गया केवल मात्र रेस्पोडेंटगण द्वारा तामिलकर्ता से मिलकर झूठी तामिल करवाकर पत्रावली को दिनांक 31.05.2016 को राजस्व लोक अलदात 2016 कैम्प ग्राम पंचायत सिमरखिया में गलत तौर से दावा स्वीकार करवाया। अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी विवादग्रस्त भूमि का कोई वाद विचाराधीन होने पर निर्णित करना कानूनी दृष्टि से गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना कर पारित नहीं की गई है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध पेश किये गए वाद पत्र संख्या 164/2014 में बिना तामिल करवाये अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.03.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई जबकि अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण द्वारा पेश वाद की कोई तामिल नहीं की गई व न ही नोटिस लेने से इंकार किया गया केवल मात्र रेस्पोडेंटगण द्वारा तामिलकर्ता से मिलकर झूठी तामिल करवाकर पत्रावली को दिनांक 31.05.2016 को राजस्व लोक अलदात 2016 कैम्प ग्राम पंचायत सिमरखिया में गलत तौर से दावा स्वीकार करवाया। अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी विवादग्रस्त भूमि का कोई वाद विचाराधीन होने पर निर्णित करना कानूनी दृष्टि से गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना कर पारित नहीं की गई है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांटगण को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान दिनांक 07.09.2016 को वाद संख्या 164/2014 की प्रमाणित नकले मांगी तब जानकारी हुई की अपीलांटगण को अंधरे में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गई। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट/वादी को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर उजर एतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 164/2014 बअनवान हरखाराम बनाम लाबूराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः अधिकतम चार माह की अवधि में निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को हिदायत है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.09.2019 को आवश्यक रूप से उपस्थित हो।

29/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner